

वर्ष 2015-16 के दौरान लोक उद्यम विभाग में इंटरशिप कार्यक्रम

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में स्नातकोत्तर/अनुसंधान/चार्टर्ड अकाउंटेंसी/आईसीडब्ल्यू/कंपनी सेक्रेटरीशिप/एमबीए छात्रों के लिए इंटरशिप की स्कीम

उद्देश्य

- अपना स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके इच्छुक स्नातकोत्तर/अनुसंधान/चार्टर्ड अकाउंटेंसी/आईसीडब्ल्यू/कंपनी सेक्रेटरीशिप/एमबीए छात्रों को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में समझौता ज्ञापन प्रणाली, लोक उद्यम सर्वेक्षण, रूग्ण एवं घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के पुनर्गठन तथा लोक उद्यम विभाग के अन्य कार्यकलापों से परिचित कराना।
- यह न तो कोई रोजगार है और न ही लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार में रोजगार का कोई आश्वासन है।

स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें

- केवल 'भारतीय नागरिकों' के लिए।
- यह इंटरशिप स्नातक की डिग्री वाले अनुसंधान (एम.फिल./पी.एचडी.) / अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर (अध्ययन)/चार्टर्ड अकाउंटेंसी/ आईसीडब्ल्यू/ कंपनी सेक्रेटरीशिप/ एमबीए कर रहे छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे छात्रों को लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करने, वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने, रूग्ण एवं घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के पुनर्गठन तथा लोक उद्यम विभाग के अन्य कार्यकलापों के बारे में जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
- किसी भी समय इंटरशिप की अधिकतम अवधि छह माह की होगी।
- प्रत्येक इंटर्न को टोकन पारिश्रमिक के रूप में 10000/- रू. प्रति माह दिए जाएंगे।
- यदि छात्रों को साक्षात्कार एवं इंटरशिप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है तो इंटर्न को कोई यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- प्रत्येक इंटर्न को न्यूनतम संभारतंत्र सहायता अर्थात् कम्प्यूटर एवं आंतरिक दूरभाष सुविधाओं के साथ कार्य-स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।

- अभ्यर्थी द्वारा दर्शाए गए रूचि के क्षेत्र, उनकी अर्हता तथा संबंधित प्रभाग की तरजीह को ध्यान में रखते हुए लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ इंटर्न को जोड़ा जाएगा।
- इन इंटर्नों को उन्हें सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर उनकी अभ्युक्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करना होगा।
- इंटर्नशिप पूरा करने पर अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। (नमूना प्रति संलग्न)
- विभिन्न विश्वविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में अध्ययनरत इच्छुक स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्र जिस तारीख से वे लोक उद्यम विभाग में इंटर्नशिप करने के इच्छुक हों, उससे एक माह पूर्व अपने जीवन-वृत्त (वैकल्पिक) के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं।
- आवेदन डाक द्वारा या स्वयं श्री सिंह वीर प्रताप, संयुक्त निदेशक, लोक उद्यम विभाग, कमरा सं. 318, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को भेजे जाएं।
- इंटर्नशिप शुरू करने से पहले अभ्यर्थी को अपने संस्थान के प्रमुख या विभाग के प्रमुख का अनुमति/संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- सभी आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और स्लॉट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन चयनित अभ्यर्थियों को वास्तविक पेशकश प्रेषित की जाएगी। इन इंटर्न को पेशकश किए जाने वाले अधिकतम स्लॉट्सकी संख्या एक समय पर 3 से अधिक नहीं होगी।
- इंटर्न का चयन करते समय फोटोशॉप जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयरों, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के ज्ञान, विविधतापूर्ण माहौल में कार्य करने की क्षमता के साथ-साथ उत्कृष्ट लिखित एवं मौखिक संप्रेषण कौशल, उत्तम बोध कौशल को अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा।

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में स्नातकोत्तर/अनुसंधान/चार्टर्ड अकाउंटेंसी/आईसीडब्ल्यू/कंपनी सेक्रेटरीशिप/एमबीए छात्रों के लिए इंटरशिप की स्कीम

(आवेदन का प्रपत्र)

नाम :

पत्राचार हेतु पता :

ईमेल :

जन्मतिथि :

शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक से शुरू करके आगे तक):-

क्र. सं.	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण की गई परीक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत के साथ प्राप्त की गई श्रेणी	विषय
1.					
2.					
3.					

वर्तमान में अध्ययन का पाठ्यक्रम,

विश्वविद्यालय/संस्थान तथा पाठ्यक्रम की अवधि :

वह अवधि जिसमें इंटरशिप अपेक्षित है :

वर्तमान संस्थान अथवा पिछले संस्थान (संस्थानों) से

दो संदर्भ व्यक्तियों के नाम :

इस इंटरशिप में शामिल होने के कारण (संक्षेप में 50 से अनधिक शब्दों में)

(हस्ताक्षर)

दूरभाष सं./मोबाइल

तारीख :